न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

संख्या : 53/2011

1. लक्ष्मीकान्ता पत्नी श्री प्रेमशंकर वयस्क जाति ब्राह्मण निवासी बून्दी ।
2. रतना प्रभा पत्नी श्री विश्वनाथ वयस्क जाति ब्राह्मण निवासी बून्दी ।
3. बृजकंवर पत्नी श्री शिवशंकर वयस्क जाति ब्राह्मण निवासी बून्दी ।
4. बसन्त कुमार आत्मज श्री किशन चन्द्र वयस्क जाति ब्राह्मण निवासी बून्दी ।
5. गिरधर गोपाल आत्मज श्री किशन चन्द्र वयस्क जाति ब्राह्मण निवासी बून्दी ।
6. राजकुमारी पत्नी श्री मुकुट बिहारी वयस्क जाति ब्राह्मण निवासी बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. श्री प्रभूलाल वयस्क आत्मज श्री गोपीलाल जाति कलाल निवासी सुमेरगंज मण्डी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
2. श्री हनुमान प्रसाद वयस्क आत्मज श्री छोटूदास जाति बैरागी निवासी सुमेरगंज मण्डी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
3. श्री रजनीकान्त वयस्क आत्मज श्री वासुदेव जाति ब्राह्मण निवासी रामपुरा बाजार अंबिका पान भण्डार के पास ब्रह्मपुरी कोटा ।
4. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार, इन्द्रगढ जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :- 1. श्री सोहन लाल जैन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री नरेन्द्र गुप्ता, श्री रामकुमार दाधीच, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 10.10.2017

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.03.2011 विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत एक वाद इन्द्राज दुरूस्ती व घोषणा का ग्राम मुई तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी की आराजी कुल किता 03 कुल रकबा 2.53 हैक्टर के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर वादीगण का वाद स्वीकार करने का निवेदन किया ।

जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वाद खारिज करने का निवेदन किया ।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.03.2011 के द्वारा दावा एवं जवाबदावा के आधार पर वाद–विवादक बिन्दु कायम कर प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर पक्षकारान की साक्ष्य आदि ली जाकर प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए वादीगण का खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री दिनांक 25.03.2011 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि रेस्पोडेन्ट कम 3 के विरूद्ध दिनांक 15.04.2005 को एकपक्षीय कार्यवाही हो जाने के पश्चात् भी दिनांक 03.06.2005 को उसका प्रतिवाद पत्र रिकॉर्ड पर लेने में कानूनी त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत प्रकरण में राजीनामा का उल्लेख किये बिना ही उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर अपीलान्ट स्वर्गीय बजरंग लाल के उत्तराधिकारी होना प्रमाणित है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने राजीमाना का कही भी उल्लेख नहीं किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने वसीयत के आधार पर ऋषिकन्या को स्व0 बजरंग लाल का उत्तराधिकारी माना है जो कथा असत्य है क्योंकि सिविल न्यायालय के निर्णय प्रदर्श– 2 के अनुसार कृषि भूमि के लिए वसीयतनामा को वोईड घोषित किया था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय के इस निर्णय पर न तो कोई गौर किया और न ही कोई विवेचन किया है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 25.03.2011 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अधीनस्थ न्यायालय ने दावा एंव जवाबदावा के आधार पर वाद–विवादक बिन्दु कायम कर प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर पक्षकारान की साक्ष्य आदि ली जाकर प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए उक्त निर्णय एंव डिक्री पारित की है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । वादग्रस्त आराजी बजरंगलाल की पुश्तैनी कृषि भूमि है तथा वह उक्त भूमि का रिकॉर्डेड विधिक सहखातेदार है । बजरंगलाल द्वारा रेस्पोडेन्ट के पक्ष में किया गया रजिस्टर्ड बेचान है जिसे निरस्त कराये बिना वादीगण अपीलान्ट का वाद राजस्व न्यायालय में चलने योग्य नहीं है इस प्रकार वादीगण अपीलान्ट का वाद पोषनीय नहीं होने से खारिज किया गया है । प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण अपीलान्ट ने अपने कथनों की पुष्टि में कोई साक्ष्य एवं दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं जिससे उनके कथनों की पुष्टि होती हो । अधीनस्थ न्यायालय ने

के अभाव में वादीगण अपीलान्ट का वाद खारिज किया है जिसमें किसी प्रकार ... नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय ... निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.03.2011 बहाल रखा जावे ।

... पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस ... श्रवण किया । प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में इन्द्राज दुरूस्ती ... स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया था । पत्रावली का अवलोकन करने पर साबित है कि रेस्पोंडेन्ट क्रम 3 के विरूद्ध दिनांक 15.04.2005 को एकपक्षीय कार्यवाही हो जाने के पश्चात् भी दिनांक 03.06.2005 को उसका प्रतिवाद पत्र रिकॉर्ड पर लेने में कानूनी त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत प्रकरण में राजीनामा का उल्लेख किये बिना ही उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है ।

10. प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण अपीलान्ट जिन आधारों पर वाद लेकर आया है उन पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपना विवेचन किये बिना ही उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.03.2011 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान के मध्य हुए लिखित राजीनामा को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान की साक्ष्य आदि ली जाकर गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 22.11.2017 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

12. निर्णय आज दिनांक 10.10.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा